रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 380] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 24, 2003/वैशाख 4, 1925
No. 380] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 24, 2003/VAISAKHA 4, 1925

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 2003

का.आ. 464(अ).—निर्यात व्यापार के विकास के लिए ताजी, हिमशीतित और प्रसंस्कृत मछली और मछली उत्पादों से सम्बन्धित भारत सरकार के तत्कालीन वाणिज्य मंत्रालय के आदेश सं. का.आ. 729(अ) तारीख 21 अगस्त, 1995 का संशोधन करने के लिए और मछली और मछली उत्पादों में प्रतिजैविकी, नाशीकीटमार और भारी धातुओं के लिए अधिकतम अवशेष सीमा से सम्बन्धित वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आदेश सं. का.आ. 722(अ) तारीख 10 जुलाई, 2002 को संशोधित करते हुए, कतिपय प्रस्ताव निर्यात निरीक्षण परिषद् को भेजे गए थे और निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 11 के उपनियम (2) की अपेक्षानुसार, भारत सरकार वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग) के आदेश सं. का.आ. 1308(अ) तारीख 10 दिसम्बर, 2002 द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) तारीख 10 दिसम्बर, 2002 में प्रकाशित किए गए थे :

और उन सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, राजपत्र में उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे :

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 10 दिसम्बर, 2002 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और केन्द्रीय सरकार को कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्यात निरीक्षण परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् ताजी, हिमशीतित और प्रसंस्कृत मछली और मछली उत्पादों से सम्बन्धित भारत सरकार के तत्कालीन वाणिज्य मंत्रालय के आदेश सं. का.आ. 729(अ) तारीख 21 अगस्त, 1995 में निम्नलिखित संशोधन करती है, जो राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :—

उक्त आदेश की अनुसूची-1 में, खण्ड (च) के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(छ) मछली और मछली उत्पाद में डाक्सिन स्तर 4 पीजी प्रति ग्राम ताजा भार (अर्थात् प्रतिग्राम 4 पीकोग्राम, ताजा भार) से अधिक नहीं होगा"।

[फा. सं.6/2/2001-ईआई एण्ड ईपी]

एम.वि.पि.सि. शास्त्री, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण : मूल आदेश का.आ. 729(अ) तारीख 21 अगस्त, 1995 द्वारा प्रकाशित किया गया था और जिसे बाद में का.आ. 722(अ) तारीख 10 जुलाई, 2001 द्वारा संशोधित किया गया।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

ORDER

New Delhi, the 24th April, 2003

S.O. 464(E).—Whereas, for the development of the export trade of India, certain proposals for amending the Order No. S.O. 729(E) dated 21st August, 1995, of erstwhile Ministry of Commerce, Government of India, relating to fresh, frozen and processed fish and fishery products and amending the Order No. S.O. 722(E) dated 10th July, 2002 of the Ministry of Commerce and Industry relating to Maximum Residual Limits (MRIs) for antibiotics, pesticides and heavy metals in fish and fishery products were forwarded to Export Inspection Council and published in Part II, Section 3, sub-section (ii) of the Gazette of India, Extraordinary, dated the 10th December, 2002 vide Order of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry (Department of Commerce), number S.O. 1308(E) dated 10th December 2002, as required by sub-rule (2) of rule 11 of the export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964;

And, whereas, the objections and suggestions were invited from all persons likely to be affected thereby within a period of thirty days from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And, whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on 10th December, 2002;

And, whereas, no suggestion or objection was received by the Central Government.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963, (22 of 1963), the Central Government after consulting the Export Inspection Council, hereby makes the following amendments to the Order No. S.O. 729(E) dated 21st August, 1995, of the erstwhile Ministry of Commerce, Government of India, relating to fresh, frozen and processed fish and fishery products, which shall take effect on the date of its publication in the Official Gazette, namely :—

In the said Order, in Schedule-I, after clause (f), the following shall be inserted, namely :—

"(g) The levels of dioxins in fish and fishery products shall not exceed 4 pg. per gm., Fresh Weight (i.e. 4 picogram per gram, fresh weight)".

[F. No. 6/2/2001-EI & EP]

M.V. P. C. SASTRY, Jt. Secy.

Note: The principal Order was published vide S.O. 729(E) dated 21st August, 1995 and subsequently amended vide S.O. 722(E) dated 10th July, 2002.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.